

कर्तवीसंघ आयुक्त आदिवासी विभाग
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि स्था 3/2019/ 28856
प्रति.

भोपाल दिनांक 31/10/19

- १ समस्त संभागीय उपयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसंचित जाति कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश।
- २ समस्त सहायक आयुक्त
आदिवासी विभाग
मध्यप्रदेश।
- ३ समस्त जिला संघीजक
आदिम जाति कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश।

विषय:- शिक्षा विभाग से आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थि किये गये नवीन शिक्षक संबंध की वेतन व्यवस्था एवं अशादायी पेशन योजना की राशि जमा करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत जिन नवीन शिक्षक संबंध में संविलयित शिक्षकों की शिक्षा विभाग से आदिम जाति कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना की गई है, उनकी वेतन व्यवस्था एवं अशादायी पेशन योजना की राशि जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।-

- १ उक्त शिक्षकों का वेतन मानदेय मट 42-009 से आहरित होगा।
- २ उक्त शिक्षकों की अशादायी पेशन योजनान्तर्गत कर्मचारी का भ्रष्टान (वेतन का 10%) एवं शासकीय अशादान (वेतन का 10%) कुल वेतन का 20% राशि का पृथक से मानदेय मट 42-009 से आहरण कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से डाटा सहित स्कूल शिक्षा विभाग को उपलब्ध करायें। योजनान्तर्गत इनकी मासिक कटौती की राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा NSDL से जमा कराई जायेगी।

(टीचासी रस्तोगी)

आयुक्त
आदिवासी विभाग
मध्यप्रदेश

ए. क्रमांक/शि स्था 3/2019/ 28857
प्रति,

भोपाल दिनांक 31/10/19

१. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
२. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
३. आयुक्त, लोक शिक्षण सचालनालय, गौतम नगर भोपाल।

आयुक्त
आदिवासी विभाग
मध्यप्रदेश